भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.684
06 फरवरी, 2024 को उत्तर देने के लिए

प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात

684. श्रीमती पूनमबेन माडम:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत दशक के दौरान देश के कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के हिस्से में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के हिस्से में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों और बनाई गई नीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) और (ख): जी हां, देश के कृषि-निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2014-15 में 13.7% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 25.6% हो गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

वर्ष	कृषि-खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का प्रतिशत हिस्सा
2014-15	13.7
2015-16	16.4
2016-17	16.4
2017-18	14.9
2018-19	18.1
2019-20	19.1
2020-21	22.2
2021-22	22.6
2022-23	25.6

(ग): एमओएफपीआई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, देश भर में खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना के सृजन में मदद करता है। योजना न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देती है बल्कि अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उपज के अपव्यय को कम करने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में भी मदद करती है।

एमओएफपीआई 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। वैश्विक खाद्य चैंपियन बनाने और विदेशों में भारतीय खाद्य ब्रांडों की दृश्यता में सुधार के लिए एमओएफपीआई द्वारा वर्ष 2021-22 से 2026-27 की अवधि के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भी शुरू की गई।

उपर्युक्त के अलावा, संबद्ध मंत्रालय/विभाग और उनकी एजेंसियां जैसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, एपीडा, एम्पीडा, आदि भी अपनी संबंधित योजनाओं जैसे समेकित बागवानी विकास मिशन, कृषि निर्यात संवर्धन योजना राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा आदि के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं।

*****